

प्रेषक,

धीरज पाण्डे,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2-आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
- 3-आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद। ।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक: 20 अगस्त, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मण्डलायुक्त एवं अपर आयुक्त के निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत आयुक्त कार्यालय हेतु मोटर गाड़ियो का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रूपयें 100 लाख में से आयुक्त फैजाबाद मण्डल फैजाबाद के लिए इनोवा वाहन हेतु रूपयें 13,50,180/- एवं आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद के लिए बोलेरो वाहन हेतु रूपयें 7,06,983/- अर्थात् कुल 20,57,163/- (रूपयें बीस लाख सत्तावन हजार एक सौ तिरसठ मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1-प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विविवाहृति नहीं हो रही है।
 - 2-उक्त वाहनो का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
 - 3-भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है। अतः उक्त वाहनो का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरों पर किया जायेगा।
 - 4-उपरोक्तानुसार अनुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वाहनो का क्रय अधिकतम 01 माह में करके उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-101-आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय-14 मोटर गाड़ियो का क्रय मद से किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1255/दस-2017 दिनांक: 16 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-17/2018/1363(1)/एक-4-2018, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 4- वित्त (व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-5।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
- 6- राजस्व अनुभाग-6।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।